आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता का राजस्व न्यायालय, जामताड़ा

वाद सं0- 04/2011

जितेन गोराई :- प्रथम पक्ष

-: बनाम :-

16/- आना रैयत मौजा- पहाड़पुर :- द्वितीय पक्ष

आदेश

अभिलेख उपस्थापित।

वर्तमान वाद आवेदक जितेन गोराई, पिता- स्व0 विरेन्द्र गोराई, ग्राम- बिन्दापाथर, थाना- बिन्दापाथर, जिला- जामताड़ा के मौजा- बिन्दापाथर के दाग सं0- 8931, रकवा- 1.75 एकड़ 0.12 डी0 तथा दाग सं0- 752, रकवा- 0.10 डी0, कुल रकवा- 1.97 एकड़ जमीन का भू-दान पट्टा सम्पुष्टि एवं लगान धार्य हेतु आवेदन दिया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना सं0- 06/मुक0 (भूदान)-380/14 1031/रा0 राँची दिनांक- 11.03.16 के द्वारा निर्गत अधिसूचना के कंडिका में (2) के अनुसार विभागीय अधिसूचना सं0- 1411/रा0, दिनांक- 03.05.05 के द्वारा तत्कालीन कमिटी को बर्खास्त कर दिया गय है। सम्प्रति झारखण्ड राज्यान्तर्गत भूदान यज्ञ कमिटी कार्यरत नहीं है।

साथ ही कंडिका (5) के तहत एक भूदान से प्राप्त भूमि को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा W.P. (PIL) No.- 3290/2014 राधादेवी-बनाम- झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.12.15 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (झारखण्ड अधिनियम, 12, 1954) की धारा-(3)(1) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड भूदान यज्ञ कमिटी का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा -(4)(1) के अनुसार भूदान से प्राप्त भूमि को भूमिहिनों के बीच वितरीत करने एवं भूदान भूमि का शुद्धि पत्र निर्गमन-निष्पादन, अनुश्रवण एवं इसका सशक्त ढंग से कार्यान्वयन करने के साथ कार्रवाई के निमित्त कमिटी गठित करने का निर्णय करते हुए निम्नवत/ सदस्यों को मनोनीत किया गया है।

इस संबंध में संबंधित, राजस्व उपनिरीक्षक का कहना है कि उक्त भूमि वर्तमान में सरकारी खाता की भूमि है तथा खतियान में पुरातन पतित कहकर दर्ज है। साथ ही यह भूमि प्रतिबंधित सूची में दर्ज है, जो NGDRS में अपलोड हो गई है। उक्त भूमि पर आवेदक का दखल का भी कोई प्रमाण अंकित नहीं है। यह भूमि दानकर्ता जगत नारायण सिंह की निजी भूमि ही नहीं

थी। स्पष्ट है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को एवं उद्देश्यों को विफल करने के क्रम में यह पट्टा बनाया गया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान में अधिसूचना सं0– 1031/रा0, दिनांक– 11.03.2016 के द्वारा नई समिति का गठन किया गया है। ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस पर निर्णय करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
जामताड़ा।

Digitally signed by SANJAY PANDEY
Date: 2023.03.28 13:46:17 +05:30
Location: 192.168.137.1